उपसभापति : सिंह देव जी, आप बहुत सारे, मतलब आप ऐनेक्टिंग फॉर्मूले में, अमेंडमेंट लाए हैं।

श्री के०पी० सिंह देव : एक साल रुकिए मैडम।

उपसभापति : तो मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि आप इसी सेशन में वापस आएंगे दो अमेंडमें। लेकर और हम आपको ऐप्रिशिएट करेंगे और पास करके भिजवा देंगे।

Shri K. P. Singh Deo . Madam, I move :

"That at page 1, line 1 *for* the word "forty-fourth the word "forty-fifth" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Shri K. P. Singh Deo.

SHRI K. P. SINGH DEO : I move :

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The Bill, as amended, is passed. He has given assurance to everybody. Now, we will take up the Cotton Transport Repeal Bill, 1994. This Bill has not much controversy and we have agreed that this Bill will be passed as soon as we can. I do not have many names.

तो मंत्री जी, अब बोलिए।

THE COTTON TRANSPORT RE-PEAL BILL, 1994

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) :

I beg to move :

"That the Bill to repeal the Cotton Transport Act 1923, be taken into consideration."

The question was proposed.

उपसभापति : मंत्री जी, आप बोलेंगे? इसमें कुछ बोलना नहीं है? कुछ खास नहीं है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : कोई खास नहीं है।

उपसभापति : आप थोड़ा ऐक्सप्लेन कर दीजिए।

SHRI G. VENKAT SWAMY : Madam Deputy Chairman, the Cotton Transport Act, 1923 was enacted on 23rd February, 1923 to provide for restriction, control and transport of cotton to ensure maintenance of purity of the superior varieties of staple cotton grown in specified tracks and to prevent its admixture with inferior varieties. The provisions of this Act have been hampering the timely and free movement of cotton particularly to the spinning mills in recent times in view of the manifold increase in production of cotton and change in the marekting and consumption of cotton. In order to remove the regulation of movement of fully pressed cotton within the industrial zones of the country and to ensure timely movement of cotton to the mills, in the era of liberalisation, it is considered necessary that the Act be repealed. The proposed Bill seeks to achieve the aforesaid objective

beg to move that the Bill to speal Cotton Transport Act, 1923 *i* taken into consideration.

THE DEPUTY CHAIRMAN : hank you. As has been explained *y* the Minister also, there is some roblem with the British rule with ixed cotton and imported cotton, have three names—Shri Sangh riya Gautam, Shri Muthu Mani id Shri Gurudas Das Gupta, tiree names are there. The Bill has a :ry limited scope. We are not scussing the entire cotton policy, ipport price etc. within the limit f a total of one hour which we ive, we have to finish.

संघ प्रिय गौतम जी, आपका नाम । आप नहीं बोल रहे हैं? बोल ाजिए। सपोर्ट कर दीजिए। एक मिनट ोल दीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम : (उत्तर प्रदेश) : ांच मिनट बोलूंगा।

उपसभापति : ठीक है, बोलिए।

श्री संघ प्रिय गौतम : महोदया, ा:संदेह माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित धेयक का मैं समर्थन करूंगा लेकिन ुझे इनके जो उद्देश्य हैं, वह सही दिखायी हीं देते हैं और वह हमारे इस समय ; कॉन्सेप्ट के बिल्कुल विपरीत है। इस मय आप कॉटन की स्थिति देखिए, या है? एक तो कपास की पैदावार हुत कम हुई है और दूसरे बीमारी भी गी है। तीसरे उसकी कीमत भी बहुत ढ़ी है और इस कारण बाजार में कीमत ढ़ने से निर्यात रुक गया। निर्यात रुकने विदेशों में हमारी साख गिर गयी ौर हमको ब्लैक लिस्ट करने की योजना रोपियन देश और जापानी देश बना हे हैं। कोई ऐसी सूरत हमें दिखायी हीं दे रही है कि इन हालात में कोई ुधार होगा और जो सबसे ज्यादा कपास दा करते हैं, वह क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। अब आपने जो कारण जताए इसलिए मैंने कहा कि उद्देश्य ठीक नहीं दिखायी दे रहे। उद्देश्यों और कारणों के कथन में तीसरे पैरा को मैं पढ़ रहा हूं। "परिवर्तित परिस्थितियों में कपास के स्वतंत्र और समयोचित संचलन पर निर्बन्धन हटाने की दृष्टि से, कपास के उत्पादन और प्रसंस्करण सेक्टरों में और उगाने वालों तथा कताई मिलों के लिए फायदा सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि कपास परिवहन अधिनियम, 1923 को निरसित *किया जाए।" अगर इतना रहता, तब* तो उद्देश्य ठीक था लेकिन आजकल सरकार के इन लोगों को हर जगह तब तक खाना हजम नहीं होता, जब तक उदारीकरण शब्द न आ जाए इसलिए इसमें इन्होंने यह भी जोड़ दिया है कि "परिवर्तित परिस्थितियों में कपास के स्वतंत्र और समयोचित संचलन पर निर्बन्धन हटाने की दृष्टि से, कपास के उत्पादन और प्रसंस्करण सैक्टरों में उदारीकरण परिस्थितियों पर जोर देने की व्यवस्था करने के लिए. . ." यह भी इनका एक उद्देश्य है। उदारीकरण के कारण कम्पीटीशन में हम पीछे जा रहे हैं और हमारे सामने यह प्रश्न भी पैदा हो गया है कि हम अपनी कपास की गुणवत्ता को, श्रेष्ठता को भी बनाए रखें और जो 1923 का विधेयक था, वह केवल इसलिए था कि हमारी कपास की श्रेष्ठता बनी रहे, गुणवत्ता बनी रहे, प्योरिटी बनी रहे। भारतवर्ष टैक्सटाइल का और लैदर गुड्स का दुनिया में सबसे बड़ा व्यापारी सदियों से रहा है और आज भी है। आज हम इसी से विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा प्राप्त करते हैं। तो क्या यह बिल्कुल उसका विरोधाभास नहीं है कि 1923 का विधेयक तो था कि कपास की कुछ क्षेत्रों में, जहां विशेष किस्म की कपास पैदा होती है, उसकी पवित्रता बनी रहे इसलिए हम इसके आगमन पर प्रतिबंध लगाते हैं। मिश्रण न हो पाए, घटिया क्वालिटी के साथ और अब जब आप इसको हटा रहे हैं तो क्या यह संभावना नहीं है

[श्री संघ प्रिय गौतम]

कि घटिया क्वालिटी के साथ इसका मिश्रण होगा और जब मिश्रण होगा तो जो आपकी विशेष क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, श्रेष्ठता है, उस पर प्रभाव नहीं होगा? यदि उस पर प्रभाव हो गया तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आप निर्यात कर सकेंगे या नहीं? यदि नहीं कर सकेंगे तो इस उदारीकरण से देश को क्या मिलेगा? आप हर जगह पर यह ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो यह बिल्कुल विरोधाभास है। केवल अगर आप इस बात के लिए लगाते हैं... अब क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं और तरह-तरह की कपास उगाई जाने लगी है, जैसे दक्षिण भारत में नीली रंग की कपास होने लगी है, इस तरह की अगर आप कोई अच्छी क्वालिटी लाना चाहते, आपका यह उद्देश्य होता कि श्रेष्ठ कोई दूसरी क्वालिटी लाना चाहते, जो हमारी गुणवत्ता, श्रेष्ठता को ज्यादा बढ़ाये तब तो आपका उद्देश्य सही होता। लेकिन आपका यह उद्देश्य तो है नहीं। जब यह उद्देश्य नहीं है तो मुझे इस विधेयक को स्वीकार करने में संदेह व्यक्त हो रहा है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं जो इससे जुड़ी हुई है, पाबन्दी हम हटायें या जोड़ें लेकिन प्रश्न यह है कि हम कपास के उत्पादन को, उसकी श्रेष्ठता को बढ़ायें। अगर हम यह नहीं बढ़ा सके तो जैसे हमारी कुछ मिलें बंद होने जा रही हैं, कताई मिलें, बहुत सी लूम मिलें बंद होने जा रही हैं इससे लाखों हमारे मजदूर बेकार होने जा रहे हैं फिर भी बाहर से आयात हो रहा है कपास। कब तक इस तरह से बाहर के कपास पर जिंदा रहेंगे? जो हमारी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में साख है वह हम खो देंगे। वर्तमान जो आपकी उदारीकरण की नीति है उसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि कपास का उत्पादन बढ़ायें, उसकी गुणवत्ता को बढ़ायें, उसकी श्रेष्ठता को बढ़ायें। इसी कारण जो प्रतिबंध पहले से लगा हुआ था उसको आप हटा रहे हैं तब तो मैं इस का पूरी तरह से समर्थन करूंगा। आप अपने उद्देश्यों में इस बात को जोड़ दें तो बहुत अच्छा है।

उपसभापति: जब यह रिप्लाई करेंगे तब जवाब देंगे। हमारी कपास ही जाती थी अंग्रेजों के जमाने में, कपड़ा नहीं जाता था। लंकाशायर की मिलें चलती थीं। इसीलिए उन्होंने यह प्रतिबंध लगाया था कि इन्हीं के यहां जाये, कहीं और न भूख हों। जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि कपास यहीं नहीं देश में घूमती थी बल्कि बाहर जाती थी।

श्री संघ प्रिय गौतम

Textile includes kapas, coir, jute and so many thing:

मैं कपास की बात नहीं कर रहा हूं। टैक्सटाइल में तो सभी चीजें आ जाती हैं।

THE DEPUTY; CHAIRMAN : No, no. Kapas is kapas. Jute is jute.

SHRI SOM PAL (Uttar Pradesh): 1 think, he is confusing between cotton and fabric.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Jute is grown separately. Kapas is grown separately. I have something to say. If you don't mind, I have to interrupt for one minute. The Finance Minister had to lay on the Table tlie Supplementary Demands for Grants (General), 1994-95. The Minister got delayed in the Lok Sabha because he had to first lay it there and then come over here. He is here..

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH) : Actually, Madarn, as soon as they are laid there in the Lok Sabha, T will do it here.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I agi What is the position ?

सभावना क्या है इसके ले होने की ?

SHRl MANMOHAN SlNGH : 1 am told tt will he laid in the Lok Sabha at 4.30.

111! DEPUTY CHAIRMAN : It I am not here, whoever is in the Chair, 1 request the Members to let the Finance Minister lay those Supplementary Demands on the Eible so that he can be released to go and do his other work while are busy here.

सुरजेवाला जी, आप संक्षेप में बोलिए कपास और जूट का फर्क थोड़ा बता दीजिए ताकि मंत्री जी कन्फ्यूज न हों।

श्री एस० एस० सुरजेवाला (हरियाणा): उपसभापति महोदय, जहां तक मौजूदा बिल का सवाल है मैं इसका स्वागत करता हूं। कपास की मूवमेंट पर जो प्रतिबंध थे, जो पाबन्दी थी वह पूर्ण रूप से खत्म कर दी जायेगी इस को रिपील करके। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने पिछले सप्ताह एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसके द्वारा उन्होंने जो कपास की जिनिंग फैक्ट्रीज हैं उनके द्वारा, कपास के ट्रेडर्स जो हैं उनके द्वारा कपास स्टाक करने के बारे में पहले जो नोटिफिकेशन इशू किया था उसको कैंसिल कर दिया।

[उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए।]

नये नोटिफिकेशन के द्वारा उसको विदड्रा कर लिया। उन्होंने दुबारा से प्रतिबंध लगा दिया इस बात पर कि कपास जो है उसको स्टाक नहीं किया जा सकता। उसको एक क्वांटिटी से ज्यादा नहीं खरीदा जा सकता। और जिनिंग करने वाले क्वान्टिटी में ज्यादा नहीं खरीद सकते। महोदय, टैक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इसकी वजह जो बतायी वह यह बतायी कि नार्थ इंडिया काटन परचेजर्स एसोसियेशन और साउथ की जो इसी तरह की एसोसियेशन है, हिन्दुस्तान में काटन व्यापारियों की, काटन खरीदने वाले व्यापारियों की एक एसोसियेशन नार्थ में है और एक साउथ में है, इन दोनों एसोसियेशंस की डिमांड के ऊपर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। काटन के स्टाक पर टैक्सटाइल मिनिस्ट्री ने जो प्रतिबंध लगाया, मैं कहूंगा कि यह जो नोटिफिकेशन इश्यू हुआ वह किसान विरोधी है और यह इसलिए किया गया है—क्योंकि वाइस चेयरमेन साहब, इस साल बरसात के मौसम में लो टेम्परेचर की वजह से नार्थ इंडिया में कपास पर एक कीड़ा लग गया, बाल वार्म नाम का, जिसने 50 प्रतिशत कपास की पैदावार खत्म कर दी, हजम कर दी। पूरे उत्तर भारत का किसान चाहे वह राजस्थान का रहा हो, गुजरात का रहा हो, पंजाब का रहा हो, हरियाणा का रहा हो और चाहे यू० पी० का रहा हो, इन सब को बहुत भारी क्षति पहुंची, बहुत भारी नुकसान हुआ। महोदय, आप जानते हैं कि कपास उगाने और कपास के रख-रखाव के लिए उस पर दर्जन के करीब, स्प्रे करना पड़ता है। इसमें बहुत महंगी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है इसका नतीजा यह होता है कि किसान को कपास बहुत सारा रुपया खर्च करके उगाना पड़ता है। इस बार कपास की पैदावार कम होने के कारण उसके अच्छे भाव मिले। 2000–2200 रुपये कपास के भाव नार्थ इंडिया में थे। तो वह व्यापारी जिन्होंने एडवांस में सौदा कर रखा था उनको नुकसान हुआ, क्षति हुई और इन व्यापारियों ने टैक्सटाइल मिनिस्ट्री पर दबाव डलवाया।

\" undei "ihe garb. '_# helping ihe hand-loom industry .'

जो बिल्कुल गलत जो सरासर गलत है। उन्होंने यह एक किसान विरोधी कदम उठाया है। उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी कि

आप कपास का इनर स्टाक नहीं कर सकते और छोटे व्यापारी इसे खरीद नहीं सकते । इसके कारण 2200 रुपया और 2300 रुपये के भाव से जो काटन बिक रहा था वह 300, 400 और 500 रुपये के भाव से नार्थ इंडिया में बिका। इससे किसानों को बहुत भारी क्षति हुई है। इसलिए मैं आपके द्वारा, हाउस के द्वारा टैक्सटाइल मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि दुबारा से कपास की खरीद और स्टाक से पाबंदी उठायी जाये। किसानों को कपास की पूरी कीमत मिले इसके लिए सरकार को पूरी सहुलियत देनी चाहिए। जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, हम हैंडलूम इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हैं, हैंडलूम वरकर्स के खिलाफ नहीं हैं, उनकी सरकार जरूर मदद करे। सरकार पहले ही उनको सस्ते दाम पर धागा खरीद कर देती है लेकिन मैं चाहता हूं कि किसानों का किसी तरह से नुकसान न किया जाये। नहीं तो इसका नतीजा यह होगा कि अगले साल किसान कपास नहीं उगाएगा और फिर इस मुल्क को कपास इम्पोर्ट करना पड़ेगा और बड़ा भारी नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरी पुरजोर मांग हाउस के माध्यम से है कि कपास उगाने वाले किसानों के हितों को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, taking this opportunity of the discussion on the Bill and taking advantage of the presence of the hon. Finance Minister, I want to raise a very important question and I would seek their point of view and. in a way, if possible, their assurance also.

We are discussing here a Bill which is<-of the Ministry of Textiles. In this ^ppnection, I want to point] out that not less than 50,000 workers J in different parts of the country," working. in the textile and jute industries, particularly^ ..in West Bengal, had not been receiving their wages for the last several months. As a result of non-payment of dues, power supply has been disrupted; power lines have been disconnected. Not only there is no production, but the workers are also being forced to drink unfiltered, water. This is an unbearable situation. As you know, these are all nationalised mills. Since these are nationalised mills, the workers are considered to be the workers of the Government. Government without closing down the mills, without declaring a closure, cannot default in the payment of wages. The Labour Ministry had also made that point clear, that if the mills are not closed down and if there is a default, that should constitute a violation of the labour laws. I do not know what the circumstances are that lead to violation of this law by the particular department of the Government. When we approached the Minister of Textiles, he told us that it is the Ministry of Finance which had not been releasing the funds and that is why here is such a financial stringency. Since the hon. Finance Minister is also here and we are discussing same thing with regard to the Ministry of Textiles, I would most fervently request both the hon. Ministers to kindly take immediate steps and also to enlighten us so that this unprecedented situation no longer prevails in West Bengal and other parts of the country. I would like to get clarifications from the hon. Ministers also in this regard.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka) : Mr. Vice-Chairman, I am sorry I am unable to persuade myself to support this Bill. Unfortunately, the Government has totally forgotten to take care of the very object itself which was mentioned in the Act of 1923. What they say in this Bill is, in the changed circumstances, because of manifold increase jn the production, we are

changing this. But how are you taking care of the objects mentioned in the 1923 Act ? The Government has not come out with clarity. This restriction was to safeguards the interests of the farmers, to safeguard the purity of cotton, to safeguard the quality of fabric. Now you are totally removing that retriction. Actually that is the cry of the farmers of this country.

Unfortunately, farm produce has been the buyer's market. The seller has no say in that. Now we are just awaiting the changed Agricultural Policy wherein agriculture, is getting the status of an industry. On the eve of agriculture getting the status of an industry, this Repeal Bill, putting the farmers into the hands of buyers, has come before us. Just because a North cartel and a South cartel have come into the cotton market, in order to give tree movement we are repealing that Act, without taking care of the interests of the farmers on one side and quality on the otherside. So I would request the Government to please look into these points.

As Mr. Surjewala has explained, sometimes the farmers are in a difficult situation when they do not get proper value for their produce. Sometimes they grow more, they get into the clutches of the buyers and the rate cornea down. So, again, while we are anticipating a changed Agricultural Policy and agriculture is getting an impetus to convert itself into an industry. Government has come out with this Repeal Bill without taking care of the farmers on one side, and purity of cotton and unrestricted movement on the other, thus putting the farmers totally into the hands of the buyers.

I would once again request the Government to please take care of the ituation. Let the Government ssure that the original objects en* hrined in the 1923 Act wilt somewhere receive the attention of the Government and the Government will take care of them and an alter. native method will be found to take care of the interests of both the quality and the producer.

SHRI S. MUTHU MANI (Tmil Nadu) : Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for providing this opportunity. I rise to speak on behalf of the All India Anna DMK on the Cotton Transport Repeal Bill.

I appreciate the concern of the hon. Minister for the development of the cotton industry. I also know the kind of interest he has evinced in protecting the weavers, particularly the handloom weavers. Even then a lot more is needed to be done for the weaving community.

First of all, export of cotton has to be reviewed time and again in order to ascertain the requirement within the country. Only surplus, cotton should be exported so that there is no shortage of cotton in the country. Since cotton is exported in large quantities, the price of cotton goes up because of scarcity, and this results in closure of mills, throwing the weavers and other textiles workers out of employment. Therefore, I request the hon. Minister to kindly keep this in mind and take necessary action to protect the workers of the textile industry.

The plight of the handloom weavers is well known. The steps taken by the Central Government, to protect them are not adequate.

However, in Tamil Nadu, our,, hon. "Chief Minister of Tamil Nadji. has launched several schemes tfj>, promote handloom and thereby protect thy'weaving community.,--...,,

For.:exarijple, the Tamil. Kadu Government spends Rs..13^ crores a year to buy,, *aHotis* and *$ftri$Jjom* thje Cb-optex, 4a handloom sector

public enterprise, and *dhotis* arid are distributed to over 370 iakh people during the Pongal festival each year.Last year 134.18 crores was given as subsidy to the handloom sector to protect it from other textile industries in the competitive market. There are 150 industrial handloom weavers' co-operative societies in Tamil Nadu, out of which 29 are exclusively for Ses and 10 foi

Having realised the plight of the weavers, the Tamil Nadu Government has introduced *an* insurance scheme, and the entire premium is paid by the State Go vernment. 1,13,956 weavers nave been insured, and Rs. 75 per person is paid each year as the insurance premium. In the year 1994-95 alone Rs. 76,58,355 has bean spent by the Government towards this insurance premium. In case of death of workers, the Co-optex is paying a grant- of Rs. 3,000 io the families of the deceased and Rs. 350 as family -pension. Last year Rs. 3.58 crores was given as giant to the families of the deseased workers. -*-

Another scheme has been launched, under which residence-cum-industrial houses are constructed for the benefit of weavers. Six hundred such units have already been constructed. A thousand units are under construction during the current year. Keeping in mind the interests of the weavers in the private sector, financial assistance is given to the handloom weavers through the Tamil Nadu Handloom weavers' Development Corporation. During the current year, Rs. 4.5 crores has been given as financial assistance under this scheme. Because of the policy of the Central Government, the agriculturists who are producing good varieties of cotton are not getting a proper price

i am only trying to impress upon the hour Minister the *a* sity to tender - the maximum help to the handloom industry. request the -Minister, to launch such schemes and- help the weaving-community to come out of "their hardships, Biit for the decision and

assistance provided by our lion" Chief Minister to the handloom^ sector in Tamil Nadu, the weavers^ would have suffered like those in some other States. Since the resource of the State Government is limited; 1 appeal to the hon. Minister to announce new schemes and allocate more funds for the betterment of the handloom weavers in Tamil Nadu and also in other States.

With these words. I conclude Sir.

श्री वीरेन्द्र कटारिया (पंजाब) : वाईस चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं भारत के उस हिस्से से आया हूं जहां हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया लांग स्टेपल काटन बड़ी तादाद में पैदा होती है। मेरे अपने शहर में डेढ़-सौ काटन जिनिंग फैक्ट्रीज है और वह हमारे इलाके का सबसे बड़ा बिजिनेस है। इस दफा काटन की क्राप इतनी खराब हुई कि एक एकड़ में जहां बीस-बीस, तीस-तीस मन कपास पैदा होती थी, दो ढाई मन पैदा हुई है और जितने कपास के कारखाने, कपास पेलने के हैं वे आज खाली पड़े हुए हैं। बिद इम्प्युनिटी, स्पूरियस फर्टिलाइजर्स और स्पूरियस पेस्टीसाइड बेचा जाता है और उसका नुकसान किसान को तो होता ही है, उसके साथ मुल्क की इकोनोमी से भी खिलवाड़ होता है। इस हाउस में कई बार इस जिक्र को किया गया है, लेकिन सारे कानूनों के बावजूद आज भी किसान से खिलवाड़ किया जाता है और नकली फर्टिलाइजर, नकली पेस्टीसाइड्स धड़ल्ले से बेचा जाता है और उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं इस बिल की जहां हिमायत करता हूं वहां सरकार से इस

اسٹاک نہیں کر سکتے تو کسان تو دونوں طرف سے مارا جا رہا ہے ۔ ایک تو اُس کی فصل کم ہوئی اور اُس کو اگر کم فصل ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا فائدہ ہونے کا کوئی امکان تھا تو یہ اسٹاک پر ریسٹرکشن لگا کر کسان کو اس فائدے سے وںچت کیا جا رہا ہے ۔

میں جہاں اس بل کی حمایت کرتا ہوں کہ اس کی فری جو موومنٹس تھی اُس کی ریسٹرکشن کو ہٹا لیا جائے ۔ اور اُس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جو اسٹاک پر ریسٹرکشن لگائی گئی ہے اُس کو واپس لیا جائے تاکہ کسانوں کو کچھ کمپینسیشن مل سکے ۔

اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ۔

"ختم شد"

SHRI SOM PAL : *(Interruptions)* This has become a usual affair in the House these days. Some times there is music, sometimes there is a disturbance. I do not know what is happening with this new integrated voice system. There is some difficulty in it. I think computer is beyond human comprehension.

माननीया उपसभापति महोदया, जो विधेयक लाया जा रहा है इस बिल को समाप्त करने का उसका तो मैं समर्थन करूंगा। एक तो जैसाकि मेरे साथी माननीय संघ प्रिय गौतम जी ने यह कहा कि पिछले तीन वर्षों से सरकार के किसी

اور نقلی فرٹیلائزر ۔ نقلی پیسٹی سائیڈس دھڑلے سے بیچا جاتا ہے ۔ اور ان کو کچھ نہیں کہا جاتا ۔ میں اس بل کی جہاں حمایت کرتا ہوں وہاں سرکار سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ کسانوں کو جو نقصان ہوا ہے ۔ فصلوں کو جو کیڑا لگا ہے ۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکا ۔ نقلی فرٹیلائزر اور پیسٹی سائیڈس کی وجہ سے فصل خراب ہوئی ہے ۔ ہمارے علاقے کے کسانوں کو اس کا معاوضہ دیا جائے ۔ اور ایک لانگ ٹرم پالیسی بنا کر اس چیز کو روکنے کی کوشش کی جائے ۔ ہمارے علاقے گنگا نگر ۔ ابوہر ۔ ملوٹ ۔ بھٹنڈا ۔ کوٹک پورا ۔ فرید کوٹ ۔ فیروز پور کے جتنے بڑے بڑے بڑے کاٹن کے ویاپاری ہیں ۔ ان کو ایڈوانس سودوں کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے اور ہمارے علاقے کی اکونامی بالکل شیئر ہو گئی ہے ۔ لوگوں نے جو کانٹریکٹ کئے تھے اس سے مکر رہے ہیں ۔ اب کسان کو کم پیداوار ہونے کی وجہ سے فائدہ ہوا تھا ۔ لیکن اب سرکار نے ایک ریسٹرکشن لگا دیا ہے ۔ کہ آپ اتنا

[+] Transliteration in Arabic script.

बात का भी मुतालबा करता हूं कि किसानों को जो नुकसान हुआ है, फसलों को जो कीड़ा लगा है उसका कोई इलाज नहीं हो सका। नकली फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की वजह से फसल खराब हुई है। हमारे इलाके के किसानों को इसका मुआवजा दिया जाए और एक लांग टर्म पालिसी बना कर इस चीज को रोकने की कोशिश की जाए।

हमारे इलाके में, गंगानगर, अबोहर, मलोट, भटिंडा, कोटकपुरा, फरीदकोट, फिरोजपुर के जितने बड़े-बड़े कॉटन के व्यापारी हैं, उनको एडवांस सौदों की वजह से करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है और हमारे इलाके की इकानामी बिल्कुल शैटर हो गई है। लोगों ने जो कांट्रैक्ट किए थे उससे मुकर रहे हैं। अब किसान को कम पैदावार होने की वजह से फायदा हुआ था, लेकिन अब सरकार ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आप इतना स्टॉक नहीं कर सकते तो किसान तो दोनों तरफ से मारा जा रहा है। एक तो उसकी फसल कम हुई और अगर उसको कम फसल होने की वजह से थोड़ा सा फायदा होने का कोई इमकान था तो यह स्टॉक पर रेस्ट्रिक्शन लगा कर किसान को उस फायदे से वंचित किया जा रहा है।

मैं जहां इस बिल की हिमायत करता हूं कि इसको भी जो मुतबेहस थी उसकी रेस्ट्रिक्शन को हटा लिया जाए और उसके साथ-साथ यह भी मुतालबा करता हूं कि जो स्टॉक पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है उसको वापस लिया जाए ताकि किसान को कुछ कंपेन्सेशन मिल सके।

इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

شری وریندر کٹاریہ "پنجاب": واٸس چیرمین صاحب۔ میں آپ کا شکرگذار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں بھارت کے اُس خطے سے آیا ہوں جہاں ہندوستان کی سب سے بڑھیا لانگ اسٹیپل کاٹن بڑی تعداد میں پیدا ہوتی ہے۔ میرے اپنے شہر میں ڈیڑھ سو کاٹن جننگ فیکٹریز ہیں اور وہ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا بزنس ہے۔ اس دفعہ کاٹن کی کراپ اتنی خراب ہوئی کہ ایک ایکڑ میں جہاں بیس بیس تیس تیس من کپاس پیدا ہوتی تھی۔ دو ڈھائی من ہی پیدا ہوئی ہے اور جتنے کپاس کے کارخانے۔ کپاس بیلنے کے ہیں وہ آج خالی پڑے ہوئے ہیں۔ وڈا امپیسیونٹی۔ اسپوریس فرٹیلائزرس اور اسپوریس سائیڈ بیچا جاتا ہے اور اس کا نقصان کسان کو تو ہوتا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ملک کی اکونومی سے بھی کھلواڑ ہوتا ہے۔ اس ہاؤس میں کئی بار اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے قانونوں کے باوجود آج بھی کسانوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔

[Transliteration in Arabic script.

भी अधिकृत व्यक्ति का कोई वक्तव्य ऐसा नहीं है जिसमें उदारीकरण के मंत्र का जाप नहीं किया जाता। ठीक, है, करना चाहिए और बहुत चीजों में उसकी आवश्यकता है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत चीजों के उदारीकरण का समर्थक रहा हूं और हूं और उसी भाव से मैं इस कानून की समाप्ति का भी समर्थक हूं। पर मैं दो बातें इंगित करना चाहता हूं। एक तो हमारे वरिष्ठ साथी माननीय सुरजेवाला साहब ने जिस बात की ओर इशारा किया कि जब भी किसान की पैदावार कम होती है तो तरह-तरह के, कीमतों के, भंडारण के और उनके परिवहन और संचालन के, प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, ताकि किसानों को किसी एक वर्ष में जबकि उन्हें भाव अच्छे मिलने की आशा हो, वह भाव न मिल सकें। जैसे कि अभी-अभी एक अध्यादेश या नोटिफिकेशन के द्वारा किया गया, जिसकी चर्चा श्री सुरजेवाला साहब ने की है। दूसरी ओर जब कभी-कभी किसी वर्ष में अधिक उत्पादन हो जाता है और भाव इतने गिर जाते हैं कि सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से भी नीचे चले जाते हैं, जैसे पिछले से पिछले वर्ष हुए थे। और उस समय कृषि समिति ने इसके ऊपर बहुत विषद चर्चा की थी, माननीय हनुमनतप्पा जी उससे अवगत हैं। उस समय भारत की मंडियों में समर्थन मूल्य से भी नीचे कपास बिकी और किसानों को 15 से लेकर 27 फीसदी तक मूल्य कम मिले, जो कि उस वक्त सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किए थे उनसे। यह कपास के विषय में ही नहीं हुआ, मोटे अनाजों के विषय में भी हुआ, अन्य खाद्यान्नों के विषय में भी हुआ। तो जितना उदारीकरण आपने अभी किया है, उसे केवल कुछ एक या दो प्रतिशत विलासिता की उपभोक्ता सामग्री के लिए सीमित रखा है। चाहे वह आयात में छूट हो, चाहे अधिकारों में छूट हो या चाहे उनके उद्योग लगाने में छूट हो, वह सब उस एक, दो या तीन प्रतिशत अमीर वर्ग के लिए किया गया है। जहां तक कृषि का संबंध है, उसमें उदारीकरण का कहीं कोई परिलक्षण दिखायी नहीं देता है। चीनी उद्योग के ऊपर उसी तरह पाबंदी है, चावल उद्योग के ऊपर उसी तरह पाबंदी है। अन्न के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सरकार ने घोषणा की है। माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, पिछले से पिछले वर्ष के बजट में इन्होंने कहा कि हमने उसके मूवमेंट के ऊपर से सारी पाबंदियां हटा दी हैं। फिर पिछली बार कहा कि पूर्ण रूप से हटा दी हैं, पहली बार यह नहीं कहा था कि अधूरे रूप से हटायी हैं। इस बार कहा कि पूर्ण रूप से हटा दी हैं। पर वास्तविकता यह है कि आज भी जिला प्रशासन और राज्यों का प्रशासन उन खाद्यान्नों के मूवमेंट के ऊपर तरह-तरह की पाबंदियां अनधिकृत रूप से लगाते हैं। कभी अध्यादेश और नोटिफिकेशन जारी कर के और कभी उसके बिना भी लगाते हैं। पुलिस या सेल्स टैक्स के स्टाफ को कह देते हैं... (व्यवधान) रेलवे वैगन नहीं देता है वह अलग बात है, पर प्रशासन द्वारा रोक लगायी जाती है, यह निश्चित बात है। तो इस तरह स्वाभाविक रूप से किसी खाद्यान्न या कृषि उपज की मंडी का विकास हो, उनकी मांग बढ़े और किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए तरह-तरह के रोड़े अटकाए जाते हैं और मंडियों का जो स्वाभाविक विकास होता है, उसे देखना सरकार पसंद नहीं करती। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की ब्रिटिश सरकार की शहरी नौकरशाही प्रणीत किसान विरोधी नीति का अनुसरण यह सरकार सतत करती आ रही है और अभी भी जारी है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बात का मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे वरिष्ठ और सम्मानित साथी श्री हनुमनतप्पा जी जैसे प्रबुद्ध सांसद ने यह कहा कि इस कानून का उद्देश्य किसान को लाभ देने का था।

यहां मैं उनसे सहमत होने को तैयार हूं। 1923 का जो विधेयक था, वह निश्चित रूप से ब्रिटिश उद्योग को लाभान्वित करने का था। किसान और यहां के छोटे व्यापारी को गुलवस्ता में कभी बताकर भाव कम देने का प्रयास था। सरकार बधाई की पात्र है कि यह बेकार का कानून जिसकी कि आवश्यकता नहीं थी जो किसान के ऊपर और छोटे व्यापारी के ऊपर प्रतिबंध का काम करता था, उसे हटा रही है। मैं इसका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और सरकार का आह्वान करता हूं कि यह उदारीकरण का काम कृषि क्षेत्र में पूरी तरह से लागू कर दिया जाए ताकि किसान को उसका पूरा लाभ मिल सके। चाहे वह चीनी उद्योग हो, चाहे दुग्ध उद्योग हो और चाहे कपास उद्योग हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में गुड़ के ऊपर पाबंदी लगा दी जोकि बिल्कुल छोटे क्षेत्र में आता है। जहां कि छोटा छोटा किसान अपने यहां गुड़ बनाता है, उस किसान पर तो आपने पाबंदी नहीं लगायी, किसान रख भी नहीं सकता, उसका भंडारण कर के व्यापारी के ऊपर यह कर दिया कि डाई सौ क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन परोक्ष रूप से तो वह किसान को ही प्रभावित करता है। इसलिए मैं पुनः सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि किसान के हित में उदारीकरण को आज जब करें तो उसकी एक समग्र और समेकित नीति बनाइए। उसको टुकड़ों में कर के, लुभावनी चीजें दिखाकर और थोड़े थोड़े नारे और झूठे वायदों के रूप में पेश मत करिए क्योंकि इस नीति का भंडा फोड़ हो चुका है और आप अभी दो राज्यों के चुनावों में उसकी कीमत चुका चुके हैं। इसलिए कृपा कर के एक समेकित नीति बनाने का प्रयास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एम. हनुमनतप्पा : चुनाव का इससे क्या संबंध है?

श्री सोमपाल : उससे संबंध है। आपने आर्थिक नीति के उदारीकरण का जो झूठा ढोल पीटा है, उसका भंडा फोड़ हुआ है। तो मैं आपको किसान के हित में और राष्ट्र के हित में आगाह करना चाहता हूं। (समाप्त)

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : (नाम निर्देशित) उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक आया है, यह बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जो इतनी देर के बाद यहां लाया गया है। इसमें मंत्री जी ने जो रीजन्स दिए हैं लेकिन, उनके पीछे मन क्या है? शायद यह उनकी मजबूरी थी, जो वह कह नहीं पाए। मुझे लगता है कि इसमें एक रीजन यह भी है कि किसानों के लिए जो रुकावटें लगी हुई थी वह उन्होंने जगह जगह तोड़ना शुरू कर दी थीं, जैसे पिछले कॉटन सीजन में महाराष्ट्र में किसानों ने कहा कि हम यह रुकावटें सहन नहीं करते और जहां हम चाहेंगे लेकर जाएंगे। तो यह भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि क्वोलिटी का सवाल था कि जो कॉटन लौंग स्टेपल की है, शार्ट स्टेपल की है या मीडियम स्टेपल की है, वह आपस में मिक्स हो जाने का खतरा था। इसलिए यह रखा। मैं समझता हूं कि यह भी कहने को कुछ है, लेकिन मन में कुछ और है। जो कॉटन पैदा करता है, वह उस कॉटन का एक-एक फल्ली को चुनता है तो उसको देखकर चुनता है कि वह कहीं मिक्स न हो, यह एक प्रकार की है, यह दूसरी है, यह घटिया है, यह बढ़िया है, उसको अलहदा-अलहदा स्टोर करता है। अब पहले की बात छोड़ो, जो इन्होंने कहा है, उसके पीछे जो भी भावना है, उसको जाना तो है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब भी जो आप कह रहे हैं, उसके पीछे मन साफ होना चाहिए।

सर, मुझे यह लगता है कि आज जो सरकार जो इस बिल को विदड्रा करना चाहती है, इसके पीछे बिल्कुल क्लीयर-कट मन कहीं नजर नहीं आ रहा। अब उन्होंने कहा कि हम लिबरलाइजेशन की

बात करते हैं, लिबरलाइजेशन की वजह से इस बिल को विदड्रा कर रहे हैं, तो लिबरलाइजेशन का मतलब तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है, लिबरलाइजेशन का मतलब यहां जो यह प्रतिबंध लगा देते हैं, उसके साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है? जब कॉटन, यहां ज्यादा पैदा होती है तो किसान के रास्ते में रुकावटें खड़ी करके बाहर एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं, उससे रुकावटें खड़ी हो जाती है और जब जरूरत होती है तो बाहर से मंगवा कर यहां पर डम्पिंग किया जाता है। मैं बहुत सीरियसली आपके माध्यम से इस हाउस को और मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि किसान भी वेल्यू एडीशन करता है। इस बात का कॉटन मिनिस्टरी, टैक्सटाइल मिनिस्टरी को भी ध्यान रखना चाहिए, देश को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसान भी एक तरह से वेल्यू एडीशन करता है। इस वेल्यू एडीशन को आज तक किसी ने समझा नहीं। इसका ऑनर करना चाहिए, यह नहीं कि किसी का कॉटन छीनकर इंडस्ट्रिलिस्ट ने, टैक्सटाइल मिल ने उस कॉटन को प्रोसेस करके बाहर भेज दिया और उसको कहा कि हम वेल्यू एडीशन करते हैं। वेल्यू एडीशन कॉटन पैदा करने वाला एक से सौ करता होगा तो कारखाने में उसको चक्कर लगाकर शायद एक से दस करते होंगे। तो इस तरह से पैदावार करने वाले को दबाकर रखा जाता है, जैसा सभी भाइयों ने, ऑनरेबल मैम्बर ने कहा कि जब किसी सीजन में ज्यादा पैदावार होती है तो किसान मरता है और वह इसलिए कि भाव गिरते हैं और जब किसी सीजन में प्रोडक्शन कम होती है तो किसान मरता है क्योंकि उसके रास्ते में रिस्ट्रक्शन्स लगा दी जाती हैं, बाहर से माल मंगाकर यहां डंप किया जाता है अर्थात् दोनों तरह से किसान को मारा जाता है।

सर, किसान पैदावार करने वाली मुख्य धुरी है। जब उसके प्रोडक्शन को हम नुकसान पहुंचाएंगे तो इससे देश आगे कैसे बढ़ सकता है? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने के साथ साथ सरकार को अपना मन बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहिए कि किसान के पैदावार के रास्ते में अगर आप रुकावटें डालेंगे तो उन रुकावटों से प्रोडक्शन कम होगी और कम प्रोडक्शन से देश का नुकसान होगा। आप लिबरलाइजेशन की कच्ची सी बात करके, आधे मन से आप गले से ऊपर-ऊपर बात करते हैं। यह आपके मन में नहीं है और इसलिए आप किसान के रास्ते में रुकावटें डालते हैं। इसको भी आपको याद रखना चाहिए कि आपने यहां लिबरलाइजेशन की बात कही है, इसलिए किसान के रास्ते में कोई भी रुकावटें, चाहे कम पैदावार किसान की हो या ज्यादा पैदावार किसान की हो या यहां की हो या कहीं की हो, उसके रास्ते में रुकावटें इसके बाद नहीं आनी चाहिएं।

सर, मैं तो बहुत देर से इस बिल को विदड्रा करने की रिक्वेस्ट करता रहा हूं, इस हाऊस में भी मैंने कई बार यह बात उठाई है कि इसको विदड्रा करना चाहिए। आज सरकार की समझ में यह बात आई है और सरकार ने अच्छी बात की है। मैं समझता हूं कि यह बिल तो विदड्रा होना ही चाहिए। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal) : Sir, I have no objection to this particular Act if it means the repealing of the earlier Bill to relax the transport system and all that. But, the worry is that it is one thing to say that it will benefit the growers, it would benefit the spinning mills, but, then unnecessarily, it adds "to provide thrust to the liberalisation effort." This, I find intriguing, because what has been done in the name of liberalisation over the past four years, has gone against the growers in general, and the cotton growers in particular. I am talking about rural development also. A few years ago, I had to go to Andhra to two well-known cotton-growing districts, who produce the best staple and raw cotton in the country—

DR. BIPLAB DASGUPTA

Prakasam and Guntur. They were in a tragic situation because the growers in that area, who are very prosperous and rich, were told by the multinational companies which sell pesticides that they should use much more of the pesticides the then was the norm. They used it, they destroyed the target pest. But, as a result of the destruction of the target pest, the second order pest, which remained dormant because of the dominant target pest, became active and within a matter of few days, they spread over the whole fields and destroyed 90 per cent of the crops in these two prosperous districts. It was unfortunate and I remember it because I had to meet the widows of about thirty farmers who committed suicide because of this tragic situation. Why am I mentioning this *1* It is because in most cases, cotton being a commercial crop, is cultivated by pursants who want to market it and who want to export it. It also means that they try to produce it with the most modern inputs available and if the multinational companies can enter into the market like this and can give a wrong kind of scientific education to our peasants which not only harms them badly, but harms our economy also, then that is not a very happy situation. I wanted to mention this because the question of liberalisation has also been mentioned. I would also say that it is not enough to simply repeal this particular Act because what would benefit the cotton growers more than anything else, would be the increase in prices. I agree that there has been some increase in prices in the recent years. But, there is still fluctuation. There is a severe fluctuation in the prices and not enough has been done to stabilise this fluctuation in prices by suitable intervention by the organisations which are supposed to buy the raw cotton from the farmers, that is, by the Cotton Corporation of India and the other agencies. They do not come into the market in time and help the cotton growers with the marketing of the crop at the time of harvesting. This is also an issue which I wanted to raise because this is very important. Otherwise, even in the name of liberalisation, you cannot say that you are doing this to help the economy. That is not going to help you. One has to do many other things besides the re-pealing of this particular Act. I am happy to note that the Minister in charge of Textiles is here. Much of the raw cotton is use by the hand-looms and it is true that most of the export of cotton from India is under-taken by the small producers and not by the big mills. A larger proportion of the total export is contributed by the handlooms and the powerlooms. That is not always taken into account and in the name of liberalisation, the protection which was earlier given to the handloom producers, that protection is being removed and, as a consequence, the handloom and the powerloom projects on the one hand and the farmers on the other hand are suffering. Due to lack of protection in certain areas, the handloom producers are now being pushed out of the market. In any case, they operate on a very small margin. But, now, as a result of this policy, they are being pushed out of the market. Partly, they have been taken over by the powerlooms. But then there is also the encourag-ment given by the Government to the big cotton mills, which I would say, is something which is totally contrary to our national interest. Obviously, the export is still contributed by a large number of small handloom operators in different parts of the country. While supporting the Bill-I have nothing against the Bill—I would like to have some response from the Minister on this issue; what action the Government is going to take for protecting the interests of cotton growers in general, that is, in terms of giving them a price which is remunerative and fair and

which makes it possible for lem to produce this particular crop y using modern inputs. This is ne issue. What would happen if le price of power goes up and if le prices of other inputs go up? ecause of liberalisation, subsidies re removed..... *{interruptions)*.. would also like to know what pro-active measures are being taken to nsure that handloom sector con-inues to function as it functioned in the past.

श्री जी. वेंकटस्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को ऑनरेबल मेंबर्स पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ग्रोअर्स को क्या नुकसान है इससे, मेरी समझ में नहीं आया। देखिए ब्रिटिशर्स के टाईम में बाहर से लाए हुए कॉटन के साथ इंडियन इनफीरियर कॉटन को मिक्स न किया जाए, इसलिए इस बिल को उस जमाने में 1923 में लाया गया। इसको हम निकाल रहे हैं और कॉटन के लिए पूरे देश में लाने-ले-जाने की पाबंदी हमने नहीं रखी है। ग्रोअर्स को जो कठिनाइयां हो रहीं थीं उनकी रोकथाम करने के लिए और जो करप्शन के केसेज सामने आए, उन सारी चीजों का सफाया करने के लिए और ब्रिटिशर्स के कानून को खत्म करने के लिए और ग्रोअर्स के लिए इधर या उधर ले जाकर अपने कॉटन को बेचने के लिए आसान रास्ता अख्तियार करने के लिए हमने यह किया है। ऑनरेबल मेंबर्स को गलतफहमी है कि इसको निकालने से ग्रोअर्स को नुकसान होगा।

महोदया, मैं इसकी सारी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। यह एक छोटा सा बिल है, रिपील बिल है और मैं चाहता हूं कि इसको पास कर दिया जाए। अभी देश के अन्दर कॉटन के प्राइसेज के बारे में जिक्र हो रहा था। मिस्टर मान ने कहा कि काफी समय से वह कोशिश कर रहे थे। वह समझे हैं कि कितनी तकलीफ हो रही है किसानों को और इसलिए इसको निकालना अच्छा है और बीच में जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स जो इसमें गेम खेल रहे हैं फायदा उठाने के लिए, उससे किसानों को नुकसान हो रहा है। मैं आज हाऊस के सामने प्राईसेज रखना चाहता हूं कि कॉटन प्राइसेज पिछले सालों में क्या थे और आज क्या हैं। मैं आपको यदि वे फिगर्स बताऊं तो आपको पता चलेगा कि मीडियम स्टेपल जे-34 का रेट इस समय 20,000 रुपए प्रति कैंडी चल रहा है जो कि पिछले साल 11,850 रुपए प्रति कैंडी था। यानी इसमें 230.37 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह से लौंग स्टेपल एच-4 एम.पी. का रेट इस समय 20,800 रुपए प्रति कैंडी है जो कि पिछले वर्ष 12,700 रुपए प्रति कैंडी था। यानी इसमें 115.91 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह एस-6 का रेट इस समय 21,600 रुपए प्रति कैंडी है जो पिछले वर्ष 14,000 रुपए प्रति कैंडी था। यानी इसमें 125.20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी प्रकार एक्सलौंग स्टेपल डी.सी.एच.-32 का रेट इस समय 27,800 रुपए प्रति कैंडी है जो पिछले वर्ष 21,500 रुपए प्रति कैंडी था। यानी इसमें 128.68 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

महोदया, इस तरह किसानों को पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा फायदा हुआ है। अभी हमारे सुरजेवाला जी बीमारी की बात कर रहे थे। यह सही है कि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा पंजाब से लगता है और वहां जो बीमारी है उसका थोड़ा-बहुत असर हमारी क्रॉप पर जरूर हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी की पूरी क्रॉप खराब हो चुकी है। ऐसा नहीं है, आया है। लास्ट ईयर इसी तरह से हुआ था। हमने कोशिश की, अभी हमारे गुप्ता जी बोल रहे थे कि वीवर्स के लिए क्या हालत होती है। यह असल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का। टैक्सटाईल मिनिस्ट्री कॉटन को इस वास्ते लेती है ताकि कॉटन के दाम हद से ज्यादा न बढ़ें, सपोर्ट प्राईस से नीचे न जाएं। अगर सपोर्ट प्राईस से नीचे जाता है तो सपोर्ट प्राईस हम देते हैं। उपसभाध्यक्ष जी, यह जो मैंने फीगर्स दिए हैं वह सपोर्ट प्राईस के ऊपर के हैं। अगर सपोर्ट प्राईस आपको बताएंगे तो एक हजार,

डेढ़ हजार प्रति क्विंटल बढ़ा हुआ है। इसलिए गुजिस्तां साल और इस साल सपोर्ट प्राईस से ज्यादा किसानों को मिल रहा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : आपके रिकार्ड में होगा कि वही दिया जाता है जो सपोर्ट प्राईस है। लेकिन वास्तव में क्या होता है वह कुछ और है।

श्री एस. एस. सुरजेवाला : मंत्री जी, 40 प्रतिशत कॉटन कम है। 40 प्रतिशत डेमेज है इस साल।

श्री जी. वेंकटस्वामी : मैं ऑनोरेबिल मेंबर्स को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने जो फिगर्स दिए हैं, वह सही हैं। मैं हाऊस को मिस-गाईड नहीं कर रहा हूं। मैं ऑथेंटिक फिगर्स मंगाकर आपके सामने रख रहा हूं। अगर इसमें गलत है तो आप मुझे बताइए, मैं अपने आपको करैक्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस साल किसानों को अच्छो रेट मिल रहा है। मगर जो बीच में ट्रेडर्स स्टॉक करके कर रहे हैं, किसानों को फायदा नहीं जाता। इसलिए हमने नया आर्डर इश्यू किया, तथा लास्ट ईयर भी किया था। जो लास्ट ईयर रखा था उससे 10 परसेंट ज्यादा नहीं रख सकते। बैंकों को भी हमने कहा है।

श्री एस. एस. सुरजेवाला : मंत्री जी, जो ट्रेडर्स खरीदेगा तो किसान को कीमत मिलेगी। अगर ट्रेडर्स पर खरीदने और स्टॉक रखने की रिस्ट्रिक्शन होगी तो किसान की कीमत गिर जाएगी और आज मंडियों में कीमत गिर चुकी है। यह आपके सामने हैं। पिछले साल से 40 प्रतिशत कॉटन कम है। यह भी रिकार्ड की बात है।

श्री जी. वेंकटस्वामी : नहीं, 40 परसेंट की गलत बात है। देश में कॉटन की जरूरत है। ....**(व्यवधान)**

SHRI GURUDAS DAS GUPTA? Hon. Minister, restriction on stock has to be there; otherwise, there is going to be speculation. It cannot be a free-for-all.

श्री जी. वेंकटस्वामी : उपसभाध्यक्ष जी, हमारे देश को....**(व्यवधान)** मैं पूरे फीगर्स देता हूं आपको।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : व्यापारी के नाम पर किसान को रोका जाता है यह जो सीलिंग लगती है। वैसे ऐसी बात किसान के हित में और प्रोडक्शन के हित में आती है।

श्री जी. वेंकटस्वामी : ऑनोरेबिल मेंबर को जो शक है, हमने काफी कोशिश कर लिया है। लास्ट ईयर भी किया था। आप जानते है कि 1990 में कितने वीवर्स भूखे मरे। स्टार्विग डैथ हुई हैं। इसकी देखभाल भी हमको करनी है कि किसान भी मरे नहीं तथा देश का जो वीवर है—सेकेंड आफटर एग्रीकल्चर लेबर है, वह भी नहीं मरना चाहिए। इसका भी आपको ख्याल रखना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि किसान को सही दाम मिले और इसमें वीवर्स को भी देखने की जरूरत पड़ती है। मैं ऑनोरेबिल मेंबर को विश्वास दिलाता हूं कि जो किसानों को नुक्सान होने की बात कह रहे हैं, मैंने आपके सामने फीगर्स रख दिए हैं। अगर इस परसेंटेज से कम रेट बढ़े हुए हैं तो आप फीगर्स लाइए, उनको मैं एक्जामिन करके आपके सामने रखने के लिए तैयार हूं। यह कल के फीगर्स हैं, लेटेस्ट फीगर्स हैं जो किसान को मिल रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर इस दाम को आप ऊपर ले जाएंगे तो देश के वीवर्स के मरने की नौबत आती है।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : स्टॉक की जो रेस्ट्रिक्शन है वह किसान के ऊपर नहीं है?

श्री जी. वेंकटस्वामी : नहीं, किसान पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी स्टॉक होल्डर्स हैं और जो अन्य लोग हैं वह एकदम स्टॉक करते हैं। मार्केट का प्राईस बढ़ जाता

है। उसको कह रहे हैं कि तुमने, लास्ट ईयर जितना रखा था—एक सौ रखा, इसको 110 रख सकते हैं। .... **(व्यवधान)**

श्री वी. नारायणसामी : (पांडिचेरी) : कोआपरेटिव फैडरेशन स्टॉक करते हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्री जी. वेंकटस्वामी : नारायणसामी साहब ने बड़ा सही क्वेश्चन किया है। उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कोआपरेटिव मूवमेंट के नाम पर स्टॉक करने से किसको नुक्सान होगा, हम इसकी जांच कर रहे हैं।

5.00 P.M.

मैं आपको बताना चाह रहा था कि यह जो बिल आपके सामने आया है, 1923 में ब्रिटिशर्स लाए थे। उनका लाया हुआ कॉटन हमारे कॉटन में मिक्स हो कर-मेनचेस्टर को न जाए और जो फैब्रिक वे तैयार करते हैं, उसके दाम न गिर जाएं, इस लिहाज से वे लोग यह बिल लाए थे अपने फायदे के लिए, इसलिए इसको अब रखने की जरूरत नहीं है। इसके आने से किसान को फायदा है। इसके आने से किसान को ज्यादा रेट मिलेगा। यह गलतफहमी है हनुमनतप्पा जी को कि किसान को ज्यादा रेट नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा। जितना लिब्रलाइजेशन आप करते जाएंगे, किसान के लिए उतना ही फायदा है, यही मेरी रिक्वेस्ट है।

ऑनरेबल मेम्बर्स ने बहुत सारी बातें बताई हैं और आखिर में उपसभाध्यक्ष जी, इस बिल को तो किसी तरह से पास कीजिए मगर दासगुप्त जी ने इस बिल से हट कर एक बात कही है कि नेशनल टेक्सटाइल मिल्स में वेजेस मिल नहीं रहे हैं, काफी कठिनाइयां हैं। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कहना चाहता हूं कि अक्टूबर तक तो सबको मिली है। अक्टूबर के बाद के महीने से कुछ कठिनाइयों की वजह से, पैसे की कमी की वजह से हमने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है और मैं समझता हूं, क्योंकि टोटल 122 एन.टी.सी. मिलों का हम मॉडर्नाइजेशन करने का प्रस्ताव केबिनेट के सामने ले गए हैं, इस वजह से पैसे की कमी पड़ी है। केबिनेट से जैसे ही सैंक्शन होगा तो सारी 122 मिल्स का मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। अब इस बीच में पैसे की कमी पड़ी है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की है, फाइनेंस मिनिस्टर को लिख कर भेजा है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : आपने कब भेजी है चिट्ठी?

When did you send the letter? Mr. Vice-Chairman, Sir, This is an important human [problem. I would only request the hon. Minister to kindly enlighten us on this point. We have been told that no such request from the Ministry of Textiles has reached the Ministry of Finance.

श्री जी. वेंकटस्वामी : मजदूरों को वेजेज चाहिए, आप सब डीटेल्स में क्यों जाते हैं? अब मैं फाइनेंस मिनिस्टर के पास कब गया, चिट्ठी कब भेजी, उससे क्या फायदा होगा? ... **(व्यवधान)** .... आप सारी चीजों में मत जाइए।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I believe that he has written the letter today. I compliment him for writing the letter. But, I request the hon. Minister of Finance not to sit over the file. I request him to immediately release the money so that the workers do not starve in West Bengal.

SHRI V. NARAYANASAMY The workers of not only West Bengal but of other States also.

श्री जी. वेंकटस्वामी : उपसभाध्यक्ष जी, इन डीटेल्स में जाने के बजाय क्यों देर हुई है? फाइनेंस मिनिस्टर की कोई गलती इसमें नहीं है। इसलिए नहीं है कि टोटल एन.टी.सी. मिल्स का मॉडर्नाइजेशन का प्लान हमने सबमिट किया केबिनेट के सामने। जसे ही केबिनेट का फैसला होता है, अगर जल्दी हो जाता तो शायद अब तक वेजेज

मिल जातीं। क्योंकि केबिनेट में सैंक्शन होने में ही देर हो रही है, इसलिए हमने फाइनेंस मिनिस्टर से फिर रिक्वेस्ट की, कुछ वेजेज के लिए पैसा दिया जाए केबिनेट में सैंक्शन होने के लिए।

DR. BIPLAB DASGUPTA: Let the Finance Minister react to it. The Finance Minister is here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The Minister has already replied.

SHRI GURUDAS DAS-GUPTA: Sir, it is a human problem It is not a political problem. Let the Minister assure the House that everything would be done to solve the problem.

DR. BIPLAB DASGUPTA : At least, the wages should be paid. *(interruptions).*

SHRI G. VENKAT SWAMY : I assure Shri Gurudas Das Gupta that कैसे भी वेजेज मिल जाएंगे आप उसकी चिंता मत कीजिए। (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (Shri MD. SALIM): Now you have got the assurance. Please sit down.

Now, the question is:

"That the Bill to repeal the Cotton Transport Act, 1923, be taken into consideration."

The motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI G. VENKAT SWAMY Sir, I move :

"That the Bill be passed"

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : Mr. Ganesan, you wanted to make your Special Mention

SPECIAL MENTIONS—*contd.*

Swami Premananda Ashram's Shady Affairs and the involvement of outside forces with the Ashram

SHRI MISA R. GANESAN (Tamil Nadu) : Sir, my special Mention is in respect of the shady, unholy, shameful activities of a bogus, so-called godman, one premananda from Pudukottai in the southern part of Tamil Nadu. The alleged misbehaviour of Premananda with the ashram residents has come as a shock to the people of the entire Tamil Nadu. This was brought to light when two inmates of the Ashram, one Suresh Kumari *alias* Baby and another Latha managed to reach Madras, 360 Kms. away from that place, on 1st November and narrated their tale of woe, the unrelenting sexual harassment of women members of the ashram including themselves, by Premananda to the media persons and women activities. A complaint was also lodged by the two young girls through the All-India Democratic Women's Association. The fraud fellow was arrested on 19th November. Also, one Kamalanantba, the Secretary of the Ashram, Dr. Chandha Devi and Balan *alias* Balendran, close associates of Premananda, were arrested four days later and were remanded to custody. Another confidante, Divya Mata, is said to be on a tour abroad for collecting funds.

Apart from several adventures of Premananda, many shocking revelations about the ashram have